राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक प10(7)परि/लेखा/जलेस/2014–15 /16236 जयपुर, दिनांक 21/12/15

कार्यालय आदेश संख्या 30

विषयः– पीएसी, सीएजी, महालेखाकार, निरीक्षण एवं आंतरिक जांच प्रतिवेदनों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित करने तथा कर खाते, जी.आई.आर में प्रविष्ठियां पूर्ण करने के संबंध में।

विषयान्तर्गत प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों की पूर्ण क्रियान्विति सुनिश्चित करने एवं जन लेखा समिति 2014–15 के 10वें प्रतिवेदन की सिफारिश संख्या 9 एवं 10 की क्रियान्विति हेतु कर खातों में प्रविष्ठियां पूर्ण करने के संबंध में पूर्व आदेश संख्या 15/2015 दिनांक 22.05.2015 एवं अनेक बार निर्देश जारी करने के उपरांत भी प्रायः देखा गया है कि कराधान अधिकारी अंकेक्षण से संबंधित मामलों में उदासीन रहते हैं। प्रतिवेदनों की पूर्ण अनुपालना/कियान्विति नहीं होने की स्थिति को जन लेखा समिति एवं वित्त विभाग द्वारा गंभीरता से लिया जाता है। अतः कर खातों में प्रविष्ठयां पूर्ण करने हेतु सभी प्रादेशिक एवं जिला परिवहन अधिकारियों को निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं:–

1. जिन वाहनों का आपके कार्यालय में कर जमा हुआ है, उनकी प्रविष्ठी कर खाते में किया जाना सुनिश्चित करें। इस हेतु कार्यालय की आर.सी.आर. एवं निरीक्षकों द्वारा जमा रसीदों का अवलोकन करें।
2. भविष्य में कार्यालय की दैनिक आर.सी.आर पत्रावलीबद्ध करने से पूर्व एवं निरीक्षकों द्वारा उपयोग में ली गई रसीद बुक स्टोर में जमा करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावें कि इनमें जमा कर की प्रविष्ठी वाहन के कर खाते में करदी गई है। आर.सी.आर. एवं रसीद बुक पर इस आशय का प्रमाण–पत्र अंकित किया जाना सुनिश्चित किया जावें।
3. अन्य जिलों में पंजीकृत वाहनों का कर यदि आपके कार्यालय, निरीक्षकों द्वारा जमा किया गया है तो उसकी मासिक सूची संबंधित कार्यालयों को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें एवं प्रति मुख्यालय को प्रेषित करें।
4. जिन वाहनों का कर जमा नहीं है एवं वाहन संचालन में है तो उनके कर एवं ब्याज/पेनल्टी की गणना कर वाहन स्वामी को सूचित करें। ऐमनेस्टी के तहत देय छूट का अंकन किया जाकर, कर जमा कराने हेतु प्रेरित करे।
5. जिन वाहनों के कर खातों में लम्बे समय से कर जमा नहीं है, वाहन मार्ग पर संचालित नहीं है, नष्ट/खुर्दबुर्द हो गये है, को विभागीय विज्ञप्ति दिनांक 22.07.2015 के तहत ऐमनेस्टी की परिधि में लाया जाकर निर्देशानुसार कार्यवाही अमल में लाया जाना सुनिश्चित किया जावें।
6. जिन वाहनों को खुर्दबुर्द मानकर पंजीयन निरस्त किये जाते है, उनके आदेशों में वाहन का मेक, माडल, मूल एवं पुनः पंजीयन तिथि अंकित की जावे। यदि वाहन पंजीयन से अल्प अवधि में खुर्दबुर्द/नष्ट हुआ माना जाता है, तो इसका स्पष्ठ औचित्य का उल्लेख आदेश में किया जावें। पंजीयन अधिकारी पंजीयन निरस्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि इस योजना का कोई वाहन स्वामी नाजायज लाभ न उठा सके।
7. उक्त सभी कार्यवाही दिनांक 30.09.2015 तक पूर्ण कर प्रतिवेदनों की अनुपालना 10.10.2015 तक वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।
8. माह अक्टूबर 2015 में कराधान अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा की जावेगी एवं जो कराधान अधिकारी निर्देशों की पालना में उदासीन पाये जावेंगे उनके विरूद्व कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(गायत्री राठौड़)
शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त

क्रमांक: 16237-16326 दि० 21/12/15

प्रतिलिपिः—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
2. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार।
3. उप वित्तीय सलाहकार।
4. समस्त अतिरिक्त परिवहन आयुक्त।
5. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
6. समस्त जिला परिवहन अधिकारी।
7. वरि. लेखाधिकारी, लेखाधिकारी प्रथम एवं द्वितीय।

(जे.पी.मीणा)
वित्तीय सलाहकार